

**सहकारिता विभाग, बिहार सरकार**

**रैयत एवं गैर - रैयत कृषक द्वारा दिया जाने वाला स्व-घोषणा प्रमाण पत्र  
(केवल बिहार राज्य फसल सहायता योजना रबी 2021-22 हेतु मान्य )**

में..... पिता / पति का नाम.....  
 वार्ड संख्या..... ग्राम.....  
 पंचायत / नगर पंचायत / नगर परिषद.....  
 प्रखंड..... जिला..... घोषणा करता / करती हूँ कि  
 मैंने अपनी कृषि योग्य भूमि जिसका भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र अपलोड किया है साथ ही अन्य अन्य रैयत की कृषि योग्य भूमि पर भी रबी वर्ष  
 2021-22 में फसल / फसलों की बुआई की है। बुआई अन्तर्गत फसल की रैयत एवं गैर रैयत भूमि का रकवा निम्न हैं :-

क्रम स.	फसल का नाम	बुआई का रकवा ( डिसमिल में )	
		रैयत भूमि ( डिसमिल में )	गैर -रैयत भूमि ( डिसमिल में )
1.	गेहूँ		
2.	मक्का		
3.	चना		
4.	मसूर		
5.	अरहर		
6.	राई-सरसों		
7.	ईख		
8.	प्याज		
9.	आलू		
	<b>कुल</b>		

**नोट:-**मात्र बुआई की गई फसल के संबंध में ही प्रपत्र में विवरणी अंकित की जाय ।

यह भूमि ग्राम पंचायत / नगर पंचायत / नगर परिषद ..... में अवस्थित हैं।  
 मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त घोषणा सही है । साथ ही, यह भी घोषणा करता / करती हूँ की अंकित सूचना गलत पाये जाने की  
 स्थिति में मेरी पात्रता रद्द कर दी जाएगी ।

दिनांक-

हस्ताक्षर / अंगुठे का निशान

.....  
**किसान सलाहकार / वार्ड सदस्य की अनुशंसा:-**

आवेदक द्वारा दी गई जानकारी को मैं सत्यापित करता / करती हूँ ।

किसान सलाहकार / वार्ड सदस्य का नाम:-		हस्ताक्षर एवं मोहर
पद:-		
मोबाइल नंबर :-		
आधार संख्या:-		

सहकारिता विभाग, बिहार सरकार

रैयत एवं गैर - रैयत कृषक द्वारा दिया जाने वाला स्व-घोषणा प्रमाण पत्र  
(केवल बिहार राज्य फसल सहायता योजना खरीफ 2021 हेतु मान्य )

में..... पिता / पति का नाम.....  
वार्ड संख्या..... ग्राम.....  
पंचायत / नगर पंचायत / नगर परिषद.....  
प्रखंड..... जिला..... घोषणा करता / करती हूँ कि  
मैंने अपनी कृषि योग्य भूमि जिसका भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र अपलोड किया है साथ ही अन्य अन्य रैयत की कृषि योग्य भूमि पर भी खरीफ  
वर्ष 2021 में फसल / फसलों की बुआई की है। बुआई अन्तर्गत फसल की रैयत एवं गैर रैयत भूमि का रकवा निम्न हैं :-

क्रम स.	फसल का नाम	बुआई का रकवा ( डिसमिल में )	
		रैयत भूमि ( डिसमिल में )	गैर -रैयत भूमि ( डिसमिल में )
1.	धान		
2.	मक्का		
3.	सोयाबीन		
	कुल		

नोट:-मात्र बुआई की गई फसल के संबंध में ही प्रपत्र में विवरणी अंकित की जाय ।

यह भूमि ग्राम पंचायत / नगर पंचायत / नगर परिषद ..... में अवस्थित हैं।

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त घोषणा सही है । साथ ही, यह भी घोषणा करता / करती हूँ की अंकित सूचना गलत पाये जाने की स्थिति में मेरी पात्रता रद्द कर दी जाएगी ।

दिनांक-

हस्ताक्षर / अंगुठे का निशान

किसान सलाहकार / वार्ड सदस्य की अनुशंसा:-

आवेदक द्वारा दी गई जानकारी को मैं सत्यापित करता / करती हूँ ।

किसान सलाहकार / वार्ड सदस्य का नाम:-		हस्ताक्षर एवं मोहर
पद:-		
मोबाइल नंबर :-		
आधार संख्या:-		